## MRA IN UNIVA The Gazette of India

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

ग्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2350] No. 2350] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2010/कार्तिक 20, 1932

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2010/KARTIKA 20, 1932

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2010

का.आ. 2778(अ),—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) के उप-खण्ड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 19 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1817(अ) में सरकारी राजपत्र में निम्निलिखित संशोधन करती है जो इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा :—

2. उक्त अधिसूचना में, पैरा सं. 4 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

> "समिति का कार्यकाल, जब तक पहले भंग न कर दी जाए, 18-10-2011 तक होगा । "

> > [फा. सं. 25/34/2010-ए डब्ल्यू डी] अंजनी कुमार, निदेशक (पशु कल्याण)

टिप्पणी: पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के उद्देश्य से इस समिति के गठन की अधिसूचना दिनांक 10-1-2003 के का. आ. 32(अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी जिसमें बाद में संशोधन संख्या का.आ. 599(अ) दिनांक 26-5-2003; का.आ. 955(अ) दिनांक 21-8-2003; का.आ. 69(अ) दिनांक 15-1-2004; का.आ. 85(अ) दिनांक 25-1-2005; का.आ. 1817 (अ) दिनांक 19-10-2006; का.आ. 1328(अ) दिनांक 7-6-2010 द्वारा किए गए।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2010

S.O. 2778(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 15 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number S.O. 1817(E) dated 19th October, 2006 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

2. In the said notification, the para No. 4 shall be replaced as under :—

"The term of the Committee shall, unless sooner dissolved, be up to 18-10-2011."

[F. No. 25/34/2010-AWD]

ANJANI KUMAR, Director (Animal Welfare)

Note:— The notification constituting the Committee for the purpose of Control and Supervision of Experimentation on Animal (CPCSEA) was published in the Gazette of India vide number S.O. 32(E) dated 10-1-2003 which was subsequently amended number S.O. 599(E) dated 26-5-2003; S.O. 955(E) dated 21-8-2003; S.O. 69(E) dated 15-1-2004; S.O. 85 (E) dated 25-1-2005; S.O. 1817 (E) dated 19-10-2006; S.O. 1328 (E) dated 7-6-2010.